भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस.4, 6 – उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रश्न भूमि के अधिग्रहण को एस के आधार पर समाप्त माना जाता है।24(2) – अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 के बेचने के समझौते के आधार पर प्रश्न भूमि में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा किया-खुद से बेचने का समझौता कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज प्रदान नहीं करता है-यहां तक कि अपीलार्थी को भी बेचने के समझौते के लेन-देन की वास्तविकता पर संदेह था और मूल रिट याचिकाकर्ता के स्थान पर एक विशिष्ट याचिका ली गई थी, हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर विचार नहीं किया-इसके अलावा, अधिसूचना यू/एस।4, 1894 अधिनियम 1980 में जारी किया गया था और बेचने का समझौता वर्ष 2016 का था-इस प्रकार, मूल रिट याचिकाकर्ता ने अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बहुत बाद कथित रूप से प्रश्न भूमि में ब्याज प्राप्त किया और इसलिए, बाद के खरीदार के रूप में कहा जा सकता है-बाद के खरीदार को अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है-इस प्रकार, बाद के खरीदार होने के नाते और/या बाद में प्रश्न भूमि में ब्याज प्राप्त करने के बाद, मूल रिट याचिकाकर्ता को अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।24(2) – इसके अलावा, जैसा कि इंदौर विकास में आयोजित किया गया है

/

/

/

/

प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, इसमें कोई चूक नहीं हो सकती

अधिग्रहण यू/एस।24(2),2013 इस आधार पर अधिनियम कि कब्जा नहीं लिया गया था और/या लंबित मुकदमों के कारण मुआवजा जमा नहीं किया गया था/टेंडर नहीं किया गया था-इस प्रकार, गुण-दोष पर भी, उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अधिग्रहण-आक्षेपित निर्णय सेट असाइड-रिट याचिका को रद्द करने में गलती की है।

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गया:**1.1** प्रत्यर्थी **No.1-original** रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की और ए दिनांकित बिक्री समझौते के आधार पर प्रश्न भूमि में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा किया।

/

602

603

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दामिनी वाधवा और ओआरएस।

22.05.2016.बेचने का समझौता अपने आप में कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज प्रदान नहीं करता है।यहां तक कि जवाबी शपथपत्र में भी, अपीलार्थी ने दिनांकित **22.05.2016** को बेचने के समझौते के लेन-देन की वास्तविकता पर संदेह किया।मूल रिट याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर डी. डी. ए. की ओर से एक विशिष्ट याचिका ली गई थी।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता के स्थान के संबंध में इस मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और/या विचार नहीं किया है।यहां तक कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बेचने का समझौता वर्ष **2016** का था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिनियम, **1894** की धारा **4** के अंतर्गत अधिसूचना **25.11.1980** पर जारी की गई थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने कथित रूप से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बहुत बाद प्रश्न भूमि में ब्याज प्राप्त किया था और इसलिए, प्रतिवादी संख्या **1** मूल रिट याचिकाकर्ता को बाद का खरीदार कहा जा सकता है।बाद के खरीदार को अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।परिस्थितियों अंतर्गत और यहां तक कि मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से मामले को स्वीकार करते हुए कि उसने दिनांक **22.05.2016** के बिक्री समझौते के आधार पर कुछ ब्याज प्राप्त किया होगा, बाद अंतर्गत खरीदार होने के नाते और/या बाद अंतर्गत प्रश्न भूमि अंतर्गत ब्याज प्राप्त करने के बाद, उसे अधिनियम, **2013** की धारा **24 (2)** के अंतर्गत अधिग्रहण कार्यवाही के समापन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या **1**-मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करने अंतर्गत गलती की, जिसअंतर्गत अधिनियम, **2013** के अंतर्गत

अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त होने का दावा किया गया था।[पैरा **7,7.1**] [**607**-जी-एच; **608**-ए-एफ]

/

/

/

/

1.2 अन्यथा गुण-दोष पर भी, उच्च न्यायालय ने अधिनियम, **2013** की धारा **24** (**2**) के अंतर्गत अधिग्रहण की समाप्ति घोषित करने/आदेश देने में गलती की है।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण किया गया था, जो एक ही अधिसूचना/अलग-अलग अधिसूचनाओं के अंतर्गत थे।अधिनियम, **1894** के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही मुकदमों का विषय थी और इस न्यायालय द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही की पुष्टि की गई।लंबित मुकदमों के कारण भूमि के कुछ भागों का कब्जा नहीं लिया जा सका और लंबित मुकदमों के कारण मुआवजा भी जमा नहीं किया जा सका।परिस्थितियों अंतर्गत और जैसा कि देखा और आयोजित किया गया है

/

/

इस न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में, वहाँ

अधिनियम की धारा **24** (**2**) के अंतर्गत अधिग्रहण की कोई चूक नहीं हो सकती है।

/

604 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

/

2013 अधिकार के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कब्जा नहीं किया जा सका और/या लंबित मुकदमों के कारण मुआवजे को जमा/निविदा नहीं किया जा सका।इन परिस्थितियों अंतर्गत भी, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करने और यह घोषित करने अंतर्गत गलती की है कि प्रश्न भूमि के संबंध अंतर्गत अधिग्रहण अधिनियम, **2013** की धारा **24** (**2**) के अंतर्गत **8** को समाप्त माना जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथ्यों के साथ-साथ विधि दोनों पर अस्थिर है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।उच्च न्यायालय के समक्ष **2016** की रिट याचिका (सी) **No.11735** को खारिज कर दिया जाता है।[पैरा **7.2,8**] [**608**-एफ-एच; **609**-ए-बी, सी]

/

/

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस. सी. आर. **1**-अनुसरण किया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स (आई)

लिमिटेड और अन्य, 2022 की सिविल अपील संख्या 3073-पर भरोसा किया गया।

/

ओम प्रकाश बनाम भारत संघ और अन्य **(2010) 4** एस. सी. सी. **17:[2010] 2** एससीआर **447;** मीरा साहनी बनाम। दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य। **, (2008) 9** एस. सी. सी. **173,** एम. वेंकटेश और अन्य। बनाम आयुक्त, बैंगलोर

/

विकास प्राधिकरण, (2015) 17 एससीसी 1:[2015] 11

एस. सी. आर. **454;** शिव कुमार और अन्र। बनाम भारत संघ और

ओआरएस., (2019) 10 एससीसी 229-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2010] 2 एससीआर **447**

संदर्भित

पैरा **2.3**

/

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **3.1 [2015] 11** एस. सी. आर. **454** पैरा **7** में निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 7962।

/

डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.07.2017 से। (ग) 2016 की सं. 11735।

सुश्री मनिका त्रिपाठी, आशुतोष कौशिक, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।एन. एस. वशिष्ठ, एम. पी. भार्गव, वरुण कपूर, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

605

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दामिनी वाधवा और ओआरएस।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2016 की लिखित याचिका (सी) संख्या 11735 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहां निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात है-मूल रिट याचिकाकर्ता और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के आधार पर समाप्त हो गया है, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. कि प्रतिवादी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाँव मैदान गढ़ी के राजस्व संपदा में स्थित मुकदमा भूमि, यानी खसरा संख्या 589 (1-8), 1 बीघा और 8 बीघा (4 बीघा में से) के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के आधार पर व्यपगत माना जाता है।

/

2.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अन्य कृषि भूमि के साथ प्रश्न भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के अंतर्गत अधिग्रहित करने के लिए अधिसूचित किया गया था; अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 07.06.1985 पर जारी की गई थी; और कलेक्टर द्वारा 17.06.1987 पर पुरस्कार घोषित किया गया था।

/

2.2 अधिग्रहण के संबंध में विभिन्न भूमि मालिकों द्वारा कई प्रश्न शुरू किए गए थे।उपरोक्त अधिसूचना/घोषणा द्वारा शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को इच्छुक व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।

/

2.3 उपर्युक्त अधिसूचनाओं के संबंध में विभिन्न दौर के मुकदमे लड़े गए।उच्च न्यायालय ने 25.11.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिग्रहण की कार्यवाही को बरकरार रखा।ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिकाओं के एक समूह में, मतभेद था और इन मामलों को तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया था, जिसे 11.05.2007 पर खारिज कर दिया गया था।इन मामलों का फैसला भूमि मालिकों के पक्ष में किया गया और धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना और बाद में अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।हालांकि,

/

/

बाद में, ओम प्रकाश बनाम के मामले में रिपोर्ट किए गए निर्णय द्वारा।

भारत संघ और अन्य, (2010) 4 एस. सी. सी. 17, इस न्यायालय ने बरकरार रखा

अधिग्रहण की कार्यवाही।इस प्रकार, प्रश्न भूमि के अधिग्रहण ने अंतिमता प्राप्त की।कि इसके बाद निजी प्रतिवादी-मूल रिट याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राहतों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की।

/

2.4 दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से एक विस्तृत प्रतिवाद दायर किया गया था-अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल रिट याचिकाकर्ता के अधिकार को चुनौती दी थी।दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से यह मामला था कि अधिसूचना/घोषणा के संबंध में लंबित विभिन्न मुकदमों के कारण संबंधित समय पर कब्जा नहीं लिया जा सका।हालाँकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से यह भी मामला था कि अधिग्रहित की जाने वाली अधिकांश भूमि के संबंध में पर्याप्त कब्जा ले लिया गया था, हालाँकि, अधिग्रहण के कुछ हिस्से के संबंध में, लंबित मुकदमों के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका।उपरोक्त के बावजूद और मूल रिट याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियों पर विचार

किए बिना भी, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के आधार पर समाप्त हो गई है, क्योंकि न तो मुआवजे का भुगतान किया गया है और न ही प्रश्न भूमि का कब्जा लिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

/

/

/

3. अपीलार्थी-डी. डी. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मनिका त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता के पास अधिग्रहण को चुनौती देने और/या घोषणा के लिए प्रार्थना करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने दिनांकित 22.05.2016 के बिक्री समझौते के आधार पर रिट याचिका दायर की, जो किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी बिक्री के लिए उक्त समझौता अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बहुत बाद हुआ था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस द्वारा अभिनिर्धारित

/

/

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में माननीय न्यायालय । गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड और अन्य, 2022 की सिविल अपील संख्या 3073,

बाद वाला खरीदार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने का दावा करने का हकदार नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और/या उस पर विचार नहीं किया गया है।

/

607

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दामिनी वाधवा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

3.1 अपीलार्थी-डी. डी. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुण-दोष के आधार पर भी, माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने और/या घोषित करने में गलती की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के

आधार पर समाप्त हो गया है।यह जारी किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि अधिग्रहित भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। हालाँकि, भूमि के छोटे टुकड़ों के संबंध में, अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाले लंबित मुकदमों के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इंदौर के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

/

विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य। **(2020) 8** एस. सी. सी.

129 ,एक बार जब प्राधिकरण लंबित मुकदमों के कारण कब्जा नहीं ले सका, तो अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) को आकर्षित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

/

3.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

/

4. मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एन. एस. वशिष्ठ ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि न तो कब्जा लिया गया था और न ही मुआवजे का भुगतान/निविदा दी गई थी, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया था, अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) को आकर्षित किया जाएगा और इसलिए, अधिग्रहण की चूक मानी जाएगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।5. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री सुजीता श्रीवास्तव ने अपीलार्थी का समर्थन किया है।

/

/

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

7. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि डी. डी. ए. की ओर से दायर काउंटर से, जो रिकॉर्ड में है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की और दिनांकित 22.05.2016 के बिक्री समझौते के आधार पर प्रश्न भूमि में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज का दावा किया।विधि की तय स्थिति के अनुसार, बेचने का समझौता अपने आप में कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज प्रदान नहीं करता है।यहां तक कि जवाबी शपथपत्र में भी, अपीलार्थी ने दिनांकित 22.05.2016 को बेचने के समझौते के लेन-देन की वास्तविकता पर संदेह किया।मूल रिट के स्थान पर डी. डी. ए. की ओर से एक विशिष्ट याचिका ली गई थी

/

/

608

/

[2022] 16 एस सी आर।

याचिकाकर्ता।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता के स्थान के संबंध में इस मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और/या विचार नहीं किया है।चाहे वह इस तथ्य पर विचार करते हुए भी हो कि बिक्री का समझौता वर्ष 2016 का था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 25.11.1980 पर जारी की गई थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने कथित रूप से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बहुत बाद ही प्रश्न भूमि में ब्याज प्राप्त किया था और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता को बाद का खरीदार कहा जा सकता है।इस न्यायालय के हाल के निर्णय में

/

विचार करने के बाद गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड और अन्य (ऊपर) का मामला

अधिग्रहण कार्यवाही की समाप्ति का दावा करने के लिए बाद के खरीदार के अधिकार पर अन्य निर्णय, अर्थात, मीरा साहनी बनाम। लेफ्टिनेंट

/

दिल्ली के राज्यपाल और अन्य, **(2008) 9** एस. सी. सी. **173** और एम. वेंकटेश और अन्य। बनाम आयुक्त, बैंगलोर विकास प्राधिकरण,

(2015) 17 एस. सी. सी. 1, यह विशेष रूप से देखा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि बाद के खरीदार को अधिग्रहण कार्यवाही की समाप्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह का विचार इस न्यायालय की बड़ी पीठ के निर्णय में व्यक्त किया गया है।

/

शिव कुमार और अन्र का मामला। बनाम भारत संघ और अन्य, (2019) 10 एस. सी. सी. 229।

7.1 परिस्थितियों अंतर्गत और यहां तक कि मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से मामले को स्वीकार करते हुए कि उसने दिनांक 22.05.2016 के बिक्री समझौते के आधार पर कुछ ब्याज प्राप्त किया होगा, बाद अंतर्गत खरीदार होने के नाते और/या बाद अंतर्गत प्रश्न भूमि अंतर्गत ब्याज प्राप्त करने के बाद, उसे अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण कार्यवाही के समापन का

दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करने अंतर्गत गलती की, जिसअंतर्गत अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त होने का दावा किया गया था।

/

/

7.2 अन्यथा गुण-दोष पर भी, उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण की समाप्ति घोषित करने/आदेश देने में गलती की है।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण किया गया था, जो एक ही अधिसूचना/अलग-अलग अधिसूचनाओं के अंतर्गत थे।अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही मुकदमों का विषय थी और इस न्यायालय द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही की पुष्टि की गई।लंबित मुकदमों के कारण भूमि के कुछ भागों का कब्जा नहीं लिया जा सका और लंबित मुकदमों के कारण मुआवजा भी जमा नहीं किया जा सका।परिस्थितियों अंतर्गत और जैसा कि देखा और अभिनिर्धारित किया गया ए

/

/

609

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दामिनी वाधवा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

इस न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में,

अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण में कोई चूक नहीं हो सकती है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा कब्जा नहीं लिया जा सका और/या लंबित मुकदमों के कारण मुआवजे को जमा/निविदा नहीं किया जा सका।इन परिस्थितियों अंतर्गत भी, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करने और यह घोषित करने अंतर्गत गलती की है कि प्रश्न भूमि के संबंध अंतर्गत अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथ्यों के साथ-साथ विधि दोनों पर अस्थिर है।

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 11735 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 25.07.2017 द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर

दिया जाता है।नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 11735 होने के कारण खारिज हो जाती है।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

/